भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1461

(जिसका उत्तर 04 मार्च, 2016/14 फाल्गुन, 1937 (शक) को दिया जाना है)

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बैंक ऋण

1461. मेजर जनरल (से.नि.) भुवन चन्द्र खंडूड़ी एवीएसएमः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बैंकों ने बाढ़ आदि में अपनी आजीविका गवां चुके लोगों को आसान/सरल ऋण प्रदान करने के लिए कोई योजनाएं शुरू की हैं और यदि हां, तो उत्तराखंड सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक का इन क्षेत्रों के प्रभावित लोगों के ऋण के ब्याज को माफ करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

(क) से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 21 अगस्त, 2015 के परिपत्र सं. एफआईडीडी संख्या एफएसडी.बीसी.12/05.10.001/2015-16 और 01 जुलाई, 2015 के एफआईडीडी सं. एफएसडी.बीसी.01/05.10.001/2015-16 के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन राहत उपायों में समय-समय पर, संबंधित एसएलबीसी के जारी निदेशानुसार मौजूदा ऋणों का पुनर्निर्धारण/पुनर्संरचना, ऋणों के भुगतान के लिए अधिस्थगन की अवधि, रियायती दरों पर नये ऋणों को स्वीकृत किया जाना शामिल है। उत्तराखंड सहित सभी राज्यों में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंकों ने राहत सहायता प्रदान की है।

*****

Sample Only